मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

बुधवार, दिनांक 6 मार्च, 2013 (फाल्गुन 15, 1934)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

1. अध्यक्षीय व्यवस्था

(1) प्रश्नों के उत्तरों में ''जानकारी एकत्रित की जा रही है'' अंकित किये जाने विषयक

श्री आरिफ अकील, सदस्य द्वारा आज की प्रश्नोत्तर सूची में उनके तीन प्रश्नों के उत्तर में, शासन द्वारा ''जानकारी एकत्रित की जा रही है'' अंकित होने की ओर आसंदी का ध्यान आकर्षित करते हुए अनुरोध किया गया कि आसंदी की पूर्व व्यवस्थाओं के बावजूद इस तरह विलम्ब से जानकारियां आ रही हैं। उन्होंने कहा कि आसंदी द्वारा आवश्यक निर्देश दिए जाएं, ताकि विभागों की उत्तर न देने की प्रवृत्ति पर रोक लगे। चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उप नेता प्रतिपक्ष द्वारा भी इस बात का समर्थन किया गया।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा मत व्यक्त किया गया कि सभी तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा अधिकांश अतारांकित प्रश्नों के उत्तरों की जानकारियां सूचना कार्यालय स्थित खानेदार आलमारी से उपलब्ध करा दी गई है। तथापि, जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं आए हैं, माननीय सदस्य बता दें, वे भी पहुंचा देंगे।

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि – ''संसदीय कार्य मंत्री के आश्वासन के बाद, मैं पुन: माननीय मंत्रियों को यह निर्देश देता हूं कि उनके विभागों के पूछे गए प्रश्नों में से जिनमें ''जानकारी एकत्रित की जा रही है'' अंकित है, उन प्रश्नों के उत्तर भी एक सप्ताह के अंदर, माननीय प्रश्नकर्ता सदस्यों को पहुंचा दें।''

संसदीय कार्य मंत्री द्वारा अध्यक्षीय व्यवस्था का पालन करने हेतु सदन को आश्वस्त किया गया।

(2) प्रश्न का संशोधित उत्तर अत्यधिक विलम्ब से प्राप्त होने विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि आज के तारांकित प्रश्न संख्या 5 (क्र. 2434) का संशोधित उत्तर विलम्ब से, आज 10.45 बजे प्राप्त हुआ है। इस कारण माननीय सदस्यों को अनुपूरक प्रश्नों की तैयारी का समय नहीं मिल पाता है। इस गलती की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसे विभाग सुनिश्चित करे और भविष्य में संशोधन एक दिन पूर्व आया करे।

सामाजिक न्याय मंत्री द्वारा विभागीय उत्तर विलम्ब से प्राप्त होने की परिस्थिति बताते हुए, भविष्य में अध्यक्षीय व्यवस्था का पालन करने हेतु सदन को आश्वस्त किया गया।

(3) प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा अधिकृत किए बिना अन्य माननीय सदस्यों को प्रश्न की अनुमति नहीं देने विषयक

प्रश्न संख्या 9 (क्र. 2403), श्री पांचीलाल मेड़ा, सदस्य की अनुपस्थिति में, उनके द्वारा अधिकृत किए बिना, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उप नेता प्रतिपक्ष एवं श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष द्वारा आसंदी से नियम शिथिल कर अनुपूरक प्रश्न करने की अनुमति मांगी गई।

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि – ''मैं विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि नियम शिथिल करके मैं गलत नजीर नहीं डालना चाहता हूँ। अत: नियमानुसार, मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूँ।''

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित में से 16 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 104 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 102 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

(श्री रामनिवास रावत, सदस्य के प्रश्न संख्या 11 (क्र. 3724) पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया। श्री पुरूषोत्तम दांगी, सदस्य द्वारा प्रश्न संख्या 13 (क्र. 3272) पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया।)

3. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री पारस सकलेचा, सदस्य की प्रदेश के निजी चिकित्सा संस्थानों द्वारा चिकित्सा सम्बन्धी पदों पर अवैध वसूली करने,

(2) श्री जुगुल किशोर, सदस्य की सतना जिले के करोढ़िया, उमरहट मार्ग के मरम्मतीकरण में अनियमितता करने,,

(3) श्री राजकुमार उरमलिया, सदस्य की रीवा जिले के आदिवासियों को दिये गये पट्टे की भूमि का कब्जा न दिये जाने,

(4) श्री सुरेश चौधरी, सदस्य की मुरैना जिले में परीक्षा केन्द्र बनाये जाने में त्रुटियां होने,

(5) श्री पुरूषोत्तम दांगी, सदस्य की राजगढ़ जिले के शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा नियमों का उल्लंघन किये जाने,

(6) श्री विश्वास सारंग, सदस्य की भोपाल के कृष्णा नगर में चोरी की घटनाये होने,

(7) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य की भोपाल के महाविद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने,

(8) श्री के.पी. सिंह, सदस्य की प्रदेश में कुम्हार जाति को बर्तन बनाने हेतु मिट्टी न मिलने,

(9) श्री तुलसीराम सिलावट, सदस्य की इन्दौर के विश्वविद्यालय में आरक्षित वर्ग के छात्रों को अयोग्य घोषित किये जाने तथा

(10) श्री गिरिजाशंकर शर्मा, सदस्य की होशंगाबाद पुलिस विभाग के पास ''ब्रीथ एनालाईजर'' मशीन उपलब्ध न होने,

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी मानी गईं।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर का वर्ष, 2011-12 का वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखा।

(2) श्री राजेन्द्र शुक्ल, खनिज साधन मंत्री ने मॉयल लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट, वर्ष 2011-12 पटल पर रखी।

5. ध्यान आकर्षण

(1) श्री लक्ष्मण तिवारी, सदस्य ने रीवा जिले के हनुमना बहरी सड़क मार्ग के निर्माण में अनुबंध की शर्तों का पालन न किये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री नागेन्द्र सिंह, लोक निर्माण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्रीमती मालिनी गौड़, सदस्य ने इंदौर शहर में व्हाइटनर की अवैध बिक्री होने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

सभापति महोदया द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों की याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं:-

(1) श्री कमलेश जाटव (जिला-मुरैना)
(2) श्रीमती साधना स्थापक (जिला-नरसिंहपुर)
(3) श्री पारस सकलेचा (जिला-रतलाम)
(4) श्री पुरूषोत्तम दांगी (जिला-राजगढ़)
(5) कुंवर विक्रम सिंह (जिला-छतरपुर)

7. वर्ष 2013-14 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमश:)

(दिनांक 4 एवं 5 मार्च, 2013 को हुई चर्चा का पुनर्ग्रहण)

(5) श्री अजय विश्नोई, पशुपालन मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 14 पशुपालन के लिए छह सौ छियालीस करोड़, बयालीस लाख, इकहत्तर हजार रूपये तथा

अनुदान संख्या – 16 मछलीपालन के लिए चौसठ करोड़, पैंतालीस लाख, उनतीस हजार रूपये तक की राशि दी जाए।

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री यादवेन्द्र सिंह
(2) श्री मोती कश्यप
(3) श्री राजकुमार उरमलिया

(4) श्री आरिफ अकील
(5) श्री प्रेमनारायण ठाकुर
(6) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर
(7) श्री ब्रजराज सिंह
(8) श्री मदन कुशवाह
(9) श्री हेमराज सिंह कल्पोनी

श्री अजय विश्नोई ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(6) श्री जयंत मलैया, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 21	आवास एवं पर्यावरण के लिए दो सौ छह करोड़, छह लाख, बयासी हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 23	जल संसाधन के लिए एक हजार आठ सौ बानवे करोड़, उन्नीस लाख, ग्यारह हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 40	जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय-आयाकट के लिए एक सौ नौ करोड़, निन्यानवे लाख, बीस हजार रूपये
अनुदान संख्या – 45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य के लिए पांच सौ छियासठ करोड़, बहत्तर लाख, बावन हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या – 57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए दो सौ छिहत्तर करोड़, अट्ठावन लाख, एक हजार रूपये तक की राशि दी जाए।

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर
(2) श्री सुदर्शन गुप्ता
(3) श्री मनीराम धाकड़
(4) श्री पुरूषोत्तम दांगी
(5) श्री राधेश्याम पाटीदार
(6) श्री ब्रजराज सिंह
(7) श्री बृजमोहन धूत
(8) श्री यादवेन्द्र सिंह
(9) श्री राजकुमार उरमलिया
(10) श्री रमेश भटेरे
(11) श्री मदन कुशवाह
(12) श्री रामलाल मालवीय
(13) श्री पारस सकलेचा
(14) श्री रामनिवास रावत
(15) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति
(16) श्री के.पी. सिंह
(17) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उप नेता प्रतिपक्ष

श्री जयंत मलैया ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(7) श्री राजेन्द्र शुक्ल, ऊर्जा मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 12	ऊर्जा के लिए सात हजार छह सौ अड़तीस करोड़, उनतालीस लाख, सतहत्तर हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या – 25	खनिज साधन के लिए उनतीस करोड़, बयासी लाख, बहत्तर हजार रूपये तक की राशि दी जाए।

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति
(2) श्री शंकरलाल तिवारी
(3) श्री मदन कुशवाह
(4) डॉ. गोविन्द सिंह
(5) श्री रामलल्लू वैश्य
(6) डॉ. प्रभुराम चौधरी
(7) श्री बृजमोहन धूत
(8) श्री श्रीकांत दुबे
(9) श्री दिलीप सिंह गुर्जर
(10) श्री पारस सकलेचा

श्री राजेन्द्र शुक्ल, ऊर्जा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 6.14 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 7 मार्च, 2013 (फाल्गुन 16, 1934) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 6 मार्च, 2013